भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2602
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

मोटे अनाज का संसाधन

2602. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में मोटा अनाज संसाधित किया गया;

(ख) क्या केंद्र सरकार का देश में विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र में मोटे अनाज के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे राज्य-वार, विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र में, कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन" वर्ष 2021 नामक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, मोटे अनाजों के लिए अनुमानित प्रसंस्करण मात्रा निम्नानुसार है :

माल	**संसाधित मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन)**		
	वर्ष 2010-11	**वर्ष 2015-16**	**वर्ष 2018-19**
मोटे अनाज	7.51	9.49	10.92

(ख)और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में केंद्रीय क्षेत्र योजना, नामत: प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, देश भर में खेत से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में मदद करती है। पीएमकेएसवाई के घटक, नामत: (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन, (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स, मोटे अनाज सहित सभी कृषि और संबद्ध उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण में सहायता करता है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय

सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने सहित आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) धन की उपलब्धता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर संभावित निवेशकों/उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करके खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में अवसंरचना की स्थापना का समर्थन करता है। इच्छुक उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एमओएफपीआई 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) भी लागू कर रहा है। ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों के लिए अब तक स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या क्रमशः 1043 और 10806 है।

*****